

## असम-मेघालय सीमा विवाद

### प्रलिस के लयः

असम-मेघालय सीमा विवाद, संवधान का अनुच्छेद 263

### मेन्स के लयः

अंतर-राज्यीयसीमा विवाद और संबंधति मुद्दे तथा आगे की राह ।

## चर्चा में क्यों?

21 जनवरी, 2022 में को मेघालय राज्य के 50वें स्थापना दविस समारोह से पूरव, गृह मंत्री द्वारा असम-मेघालय सीमा के छह क्षेत्रों में विवाद को समाप्त करने के लयि अंतमि समझौते पर मुहर लगाए जाने की उम्मीद है ।



## प्रमुख बदि

### ■ असम-मेघालय सीमा विवाद के बारे में:

- असम और मेघालय दोनों राज्य 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं । फलिहाल उनकी सीमाओं पर 12 बदिओं पर विवाद है ।
- असम-मेघालय सीमा विवाद ऊपरी ताराबारी, गजांग आरक्षति वन, हाहमि, लंगपीह, बोरदुआर, बोक्लापारा, नोंगवाह, मातमुर, खानापारा-पलिंगकाटा, देशदेमोराह ब्लॉक I और ब्लॉक II, खंडुली और रेटचेरा के क्षेत्रों पर हैं ।
- मेघालय को असम पुनर्गठन अधनियिम, 1971 के तहत असम से अलग कयिा गया, यह कानून जसि मेघालय द्वारा चुनौती दी गई विवाद का कारण बना ।

### ■ विवाद का प्रमुख बदि:

- असम और मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बदि असम के कामरूप ज़िले की सीमा से लगे पश्चमि गारो हलिस में लंगपीह ज़िला है ।
- लंगपीह ब्रिटिश औपनविशक काल के दौरान कामरूप ज़िले का हसिसा था, लेकनि आज़ादी के बाद यह गारो हलिस और मेघालय का हसिसा बन गया ।
  - असम इसे मकिरि पहाड़ियों (असम में स्थति) का हसिसा मानता है ।

- मेघालय ने **मकिरि हलिस** के ब्लॉक। और ॥ पर सवाल उठाया है, जो अब कार्बी आंग्लोंग क्षेत्र असम का हिस्सा है। मेघालय का कहना है कि ये तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जयंतिया हलिस ज़िलों के हिस्से थे।
- **विवादों को सुलझाने के प्रयास:**
  - असम और मेघालय दोनों ने सीमा विवाद नपिटान समितियों का गठन किया है।
  - सीमा विवादों को चरणबद्ध तरीके से हल करने के लिये दो क्षेत्रीय समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है और सीमा विवाद को हल करते समय पाँच पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
    - वे ऐतिहासिक तथ्य, जातीयता, प्रशासनिक सुविधा, संबंधित लोगों की मनोदशा और भूमि से निकटता हैं।
  - पहले चरण में छह स्थलों पर विचार किया जा रहा है। ये **ताराबारी, गजांग, हाहमि, बकलापारा, खानापारा-पलिकिकाटा और रातचेरा** हैं।
  - ये विवादित क्षेत्र असम की तरफ कछार, कामरूप मेट्रो और कामरूप ग्रामीण तथा मेघालय की तरफ पश्चिम खासी हलिस, री भोई ज़िले व पूर्वी जयंतिया हलिस का हिस्सा हैं।
- **असम और सीमा मुद्दे:**
  - पूर्वोत्तर के राज्य बड़े पैमाने पर असम से जुड़े हुए हैं, जिसका कई राज्यों के साथ सीमा विवाद है।
  - अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के साथ असम के सीमा विवाद **सर्वोच्च न्यायालय** में लंबित हैं।
  - मजोरम के साथ असम के सीमा विवाद फलिहाल बातचीत के जरूरी समाधान के चरण में हैं।
- **वभिन्न राज्यों के बीच अन्य सीमा विवाद:**
  - **बेलागवी सीमा विवाद** (कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य)
  - **ओडिशा सीमा विवाद**

## आगे की राह

- राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतरराज्यीय संवाद (Inter State Dialogues) **अंतरराज्यीय परिषद** (Inter State Councils) और अधिकरण में विचार-विमर्श तथा इस प्रकार के विवादों को सुलझाने हेतु सहकारी संघवाद की भावना को अपनाने की आवश्यकता है।
  - संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, अंतर-राज्य परिषद से विवादों की जांच और सलाह देने, सभी राज्यों के लिये सामान्य विषयों पर चर्चा करने और बेहतर नीति समन्वय के लिये सफ़िराशें करने की अपेक्षा की जाती है।
- इसी तरह, प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों के लिये सामान्य चिंता के मामलों पर चर्चा करने हेतु क्षेत्रीय परिषदों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है- सामाजिक और आर्थिक योजना, सीमा विवाद, अंतर-राज्य परिवहन आदि से संबंधित मामले।
- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

## स्रोत- द हट्टू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/assam-meghalaya-border-dispute>